न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 112/2018

बीरबल सिंह पुत्र स्व. श्री किशनी उर्फ किशनसिंह जाति लोधा ग्राम बझेरा, तह0 व जिला भरतपुर (राज0)

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव निवासी बझेरा तह. व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. मुन्ना
4. राजू — पुत्रगण स्व. महाराजसिंह
5. राजपाल
6. विनोद
7. अमरसिंह — पुत्रगण स्व. किशनी
8. रनवीरसिंह — उर्फ किशनसिंह
9. विमला विधवा स्व. कुन्दन
10. रामेश्वर
11. राजू — पुत्रगण स्व. कुन्दन
12. सूरज
13. जितेन्द्र
14. विरजो देवी विधवा स्व. प्रेमसिंह
15. मोहनसिंह
16. बच्चू — पुत्रगण स्व. कृपा
17. सौदान

जातियान लोधा निवासी ग्राम बझेरा, तहसील व जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....तरतीवी
प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः–

02–07–2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम बझेरा तह. भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 830 रकबा 0.10 हैक्टेयर का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है और पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर लगभग 25 वर्ष से वादी उक्त रकबा पर अनवरत खातेदार की हैसियत से काश्त करता चला आ रहा है और इस समय भी काबिज है। इसमें कुइया मौजूद है, रकबा विवादित है। उक्त हाल खसरा नंबर के साविक खसरा नंबर 791 रकबा 2 बिस्वा व 892 रकबा 6 बिस्वा थे।

ग्राम बझेरा तह0 भरतपुर में ठण्डी वल्द रामचंद व कृपा वल्द रामसिंह लोधा जमींदार बिस्वेदार थे। ठण्डी वादी के खास बाबा थे व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8 ठण्डी के वंशज हैं तथा कृपा प्रतिवादी सं. 15 लगायत 17 के बाबा थे और तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 लगायत 14 कृपा के वंशज हैं। विवादित रकबा ठण्डी व कृपा की संयुक्त बिस्वेदारी में था व आपसी मनबट से ठण्डी के कब्जे और खुद काश्त में था।

दिनांक 15.11.1959 को जारी होने उक्त कानून ठण्डी वादी उक्त रकबा पर वहैसियत मालिक काश्तकार काबिज थे और काश्त करते थे। अतः वह उक्त रकबा के कानूनन मालिक काश्तकार मिसल खातेदार काश्तकार हो गये थे तथा यह रकबा ठण्डी के ऑक्यूपेशन में था और ऑक्यूपाइड रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कानूनन राज0 सरकार में निहित नहीं हो सकता था। मगर प्रतिवादी सं. 2 के अधीनस्थ ने उक्त रकबा को अन–ऑक्यूपाइड मानकर राज0 सरकार में निहित होना राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया, जो कतई गलत व विधि विरुद्ध था। ठण्डी का स्वर्गवास सन् 1972–73 के आसपास हुआ था। जब तक वह जीवित रहे, उक्त रकबा पर वहैसियत मालिक काश्तकार मिसल खातेदार काश्त करते रहे। उनके मरणोपरान्त उक्त रकबा को वादी के पिता ने विरासत में प्राप्त किया और वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते रहे।

वादग्रस्त आराजी पर वादी के बाबा ठण्डी का वास्तविक कब्जा था और उनका ऑक्यूपाइड था। फिर भी तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 26.06.1969 को प्रतिवादी सं. 1 के पिता रामजीलाल जाटव के हक में आवंटन करने का आदेश अनधिकृत रूप से कर दिया। यह आवंटन आदेश न्यायालय श्रीमान अति0 जिलाधीश भरतपुर ने निरस्त कर दिया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना किये बगैर व किसी भी प्रकार की जांच नहीं करते हुए तत्कालीन जिलाधीश भरतपुर ने विधि विरुद्ध तहसीलदार भरतपुर का आवंटन आदेश 23.05.1977 को सही मान लिया, जो विधि विरुद्ध है। अवैध आदेश दिनांक 26.06.1969 तहसीलदार भरतपुर के तहत प्रतिवादी सं. 1 के पिता रामजीलाल के हक में दर्ज किया गया नामान्तरकरण सं. 266 ग्राम पंचायत इकरन द्वारा दि0 29.11. 1978 को अस्वीकृत कर दिया था, फिर भी तहसीलदार भरतपुर ने आवंटन आदेश दि0 26.06.1969 के तहत विवादित आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दि0 26.03. 2007 को पारित कर दिया जो कब्जे की वास्तविक जांच के अभाव में कतई विधि विरुद्ध व नल एंड वाइड है और इस आदेश के तहत दर्ज नामान्तरकरण सं0 266 जो कि दि0 19. 04.2007 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा तस्दीक किया गया है,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी नल एंड वॉइड एवं एवइनीसियो वाइड है। तथा प्रतिवादी सं0 1 अपने आप को वादग्रस्त आराजी का खातेदार होना प्रकट करता है और कब्जे काश्त वादी में अनधिकृत दखलंदाजी करता है व झगड़ा फसाद को आमादा रहता है। अनुसूचित जाति का होने के कारण दिनांक 01.09.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। इसी कारण वादी प्रतिवादी सं0 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करा पाने का अधिकारी है।

लैंडहोल्डर होने के कारण राज0 सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उसके अधीनस्थ द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति राज0 सरकार उत्तरदायी है। दावा करने से पूर्व राज0 सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. जरिये वकील प्रेषित कराया जा चुका है। दावा आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र 80 (2) के साथ पेश किया जा रहा है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी के काबिज होने से पहले यह रकबा वादी के पूर्वजों का ऑक्यूपाइड रहा है। वह काश्त करते थे। यह रकबा राज0 सरकार में निहित नहीं हो सकता था। मकबूजा राज की प्रविष्टि कतई गलत व खिलाफ मौका व काबिल निरस्तनीय है। आदेश दिनांक 20.06.1969 तहसीलदार भरतपुर प्रभावहीन है। उप जिलाधीश भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 26.06.1969 तहसीलदार भरतपुर को यथावत रखे जाने का आदेश विधिविरुद्ध है एवं उप जिलाधीश भरतपुर तथा तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 26.06.1969 के परिप्रेक्ष्य में दिया गया नामान्तरकरण सं0 266 ग्राम बझेरा प्रतिवादी सं0 1 के हक में दर्ज करने का आदेश दिनांक 26. 03.2007 तहसीलदार भरतपुर विधि विरुद्ध है तथा आदेश दिनांक 04.03.2016 प्रतिवादी सं0 1 को गैरखातेदारी से खातेदार दर्ज कराने बावत विधि विरुद्ध व एव इनीसियो

वॉइड है और इस कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम प्रविष्टियां विवादित आराजी बावत कलमजन किये जाने योग्य है व वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टियां कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज कराने के आदेश फरमाये जावें और प्रतिवादी सं0 1 स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.11.2018 को प्रतिवादी सं0 3,4,5,7,9,14,15 व 17 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 1,2,6,8,10,11,12,13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3,4,5,7,9,14,15 व 17 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये किंतु जवाब न आने पर दिनांक 01.02.2019 को इनका जवाब बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह बीरबल सिंह व जीतेन्द्र कुमार के शपथ पत्र पेश हुए किंतु अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 04.06.2019 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। पत्रावली पर अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार है –

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वादी सिद्ध नहीं होने से काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official